

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 913वी बैठक दिनांक 20.11.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफ्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC अनुशंसित/परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/920/2025	1(a)	शिवपुरी	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	P2/865/2025	1(a)	सिवनी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
3.	P2/866/2025	1(a)	सिवनी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/1725/2025	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/1728/2025	1(a)	कटनी	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/1729/2025	1(a)	कटनी	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/1730/2025	1(a)	सागर	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	P2/1732/2025	1(a)	बुरहानपुर	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/1731/2025	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P2/1615/2025	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

11.	10917/2023	1(a)	रीवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
12.	P2/72/2024	1(a)	ग्वालियर	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
13.	P2/1749/2025	1(a)	टीकमगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/820/2024	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/1034/2025	1(a)	जबलपुर	आयरन ओर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	P2/1149/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
17.	P2/1148/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	246/2008	1(a)	जबलपुर	लेटेराइट एवं फायरक्ले खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
19.	P2/875/2024	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20.	8210/2021	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

1. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/471238/2024 Case No. P2/920/25, Prior Environmental Clearance for Flagstone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production capacity 4,772 m³ /year, at Khasra No.39, 43 and 45, Village- Khadela, Tehsil- Pichhore, District- Shivpuri (M.P.) by Shri Ravindra Singh Chauhan S/O Shri Noneraja Chauhan R/o Ward No. 08, Musahid Mohalla Khaniyadhana, District- Shivpuri State: - Madhya Pradesh**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्रमांक 13642-43 दिनांक 24.08.2018 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.08.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

2. Proposal No.: SIA/MP/MIN/457876/2024 Case No. P2/865/24, Prior Environmental Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.97 ha. for production capacity 18,277 cum per annum, at Khasra No. 278/1, 278/2, 280, 281, 103/3, 103/4, 276, Village Gangerua, Tehsil- Seoni, District- Seoni (M.P.) by Shri Iqbal Shaikh, R/o Ward no 8 Purana thana road Tehsil & District Balaghat (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रकरण में श्री अनूप यादव, जिला सिवनी से ई-मेल दिनांक 19.11.2025 को प्राप्त शिकायत अनुसार उक्त प्रकरण के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान श्री संजय पटले रकबा 1.50 हे., शशांक सोहाने रकबा 1.20 हे. एवं श्रीमती ज्योति ठाकुर रकबा 2.00 हे. की संचालित होना बताया गया है जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे. से अधिक का होता है एवं प्रकरण बी-1 श्रेणी का बताया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्राप्त उपरोक्त शिकायत के दृष्टिगत कलेक्टर जिला सिवनी से उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जावे। इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

3. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/457979/2024 Case No. P2/866/24, Prior Environmental Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.65 ha. for production capacity 16530 cum per annum, at Khasra No.130 Change 217, 134 Change 222, Village- Banki, Tehsil- Seoni, District- Seoni (M.P.) by Smt. Zahira Shekh, R/o ward no 8 old thana Road Tehsil & District Balaghat (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 एवं 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 एवं 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्रमांक 11164-65 दिनांक 06.06.2017 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.06.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नहर से न्यूनतम 200 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

4. Proposal No.: SIA/MP/MIN/474309/2025 Case No. P2/1725/25, Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for production capacity 7350 m³ /year at Khasra No. 65, Village Sadakwada, Tehsil- Ghodadongri, District- Betul (M.P.) by Shri Akash Agrawal S/O Shri Kailash Chandra Chandra R/O- Vill-Ghodadongri, Tehsil- Ghodadongri Dist- Betul (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के लीज नवीनीकरण आदेश क्रमांक 1051 दिनांक 27.05.2019 के अनुसार 10 वर्ष (दिनांक 27.04.2029) की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.04.2029 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 05 वृक्षों में से काटे जाने वाले 05 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 50 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

5. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519803/2025, Case No. P2/1728/2025 Prior Environmental Clearance for Laterite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.17 ha. for production capacity 20412 Tons per Annum at Khasra No. 116, 117, Village-Bhoola, Tehsil- Saleemnabad, District Katni (M.P.) by M/s Goswami Minerals, Prop. Shri Akhilesh Puri Goswami R/o village Pooniya, Tehsil/Vijayraghavgarh, Dist. Katni (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्रमांक 1443 दिनांक 02.02.2022 के अनुसार 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.02.2052 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानब बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन सक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

6. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519813/2025, Case No. P2/1729/2025 Prior Environmental Clearance for Laterite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.55 ha. for production capacity 8879 Tons per Annum at Khasra No. 105, 106, 111, Village-Bhoola, Tehsil- Saleemnabad, District Katni (M.P.) by M/s Goswami Minerals, Prop. Shri Akhilesh Puri Goswami R/o village Pooniya, Tehsil Vijayraghavgarh, Dist. Katni (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्रमांक 1445 दिनांक 02.02.2022 के अनुसार 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.02.2052 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

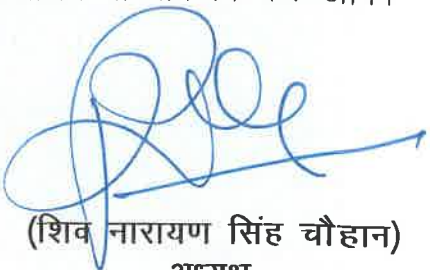
(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

7. Proposal No.: SIA/MP/MIN/522347/2025, Case No. P2/1730/2025 Prior Environmental Clearance for Stone & Murum Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production capacity Stone 10,098 cum per annum, M-Sand - 20,502 cum per annum & Murram - 10,200 cum per annum at Khasra No. 410, Village- Jarara, Tehsil- Sagar, District Sagar (M.P.) by Palash Jain, owner, Laxmipura Ward Sagar, Tehsil - Sagar, District - Sagar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के पत्र क्रमांक 758 दिनांक 10.06.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.06.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानब बसाहट एवं पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

8. Proposal No.: SIA/MP/MIN/540600/2025, Case No. P2/1732/25 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.70 ha., for production capacity Stone 20,000 m³ /year, at Khasra No. 81/2 & 81/4, Village- Melchuka, TehsilKhaknar, District- Burhanpur (M.P.) by M/s Tirupati Balaji Enterprises, Authorized Partner- Shri Chandra Kishore Bhawsar R/O: Vill- Melchuka, Teh-Khaknar, District- Burhanpur , Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 1147 दिनांक 26.11.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क एवं नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

9. Proposal No.: SIA/MP/MIN/540343/2025, Case No. P2/1731/25 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry in an area of 1.230 ha. for production capacity Stone 14,633 m³ /year at Khasra No. 179(S), 183(S) and 185(S) (Govt. Land), Village- Dhodhitola, Tehsil- Mada, District- Singrauli (M.P.) by Pramila Kumari W/O: Shri Permeswar Bhagat R/o: VillDhoti, Post Vindhya Nagar, Teh&District- Singrauli (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 819वी बैठक दिनांक 12.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर लीज क्षेत्र में काफी संख्या में पेड़ होना एवं घना प्राकृतिक जंगल होना परिलक्षित है। SEAC द्वारा भी अपने कार्यवाही विवरण में उक्त लीज क्षेत्र में सिर्फ 40 पेड़ पलाश एवं नीम के होने का उल्लेख किया गया है, जबकि उक्त क्षेत्र प्राकृतिक हरा भरा है इसके उपरांत भी पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत उक्त प्राकृतिक पेड़ों से घने क्षेत्र पर प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की गई। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण निरस्त किये जाने के पूर्व SEAC से अभिमत लिया जाये।

(दीपक अग्रय)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

10. Proposal No.: SIA/MP/MIN/539043/2025, Case No. P2/1615/2025 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.50 ha. for production capacity Stone (gitti)-12,000 m³/year & M-sand 12,000 m³/year, at Khasra No. 16/1 & 16/2, Village -Amankhedi, Tehsil- Bhikangaon, District- Khargone (M.P.) by Shri Anand Jaiswal S/o S/o Shri Ramnarayan Jaiswal R/o: 117, MG Marg, Bhikangaon, District- Khargone, Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 820वी बैठक दिनांक 19.08.2025 एवं 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 820वी बैठक दिनांक 19.08.2025 एवं 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन के पत्र क्रमांक 1621 दिनांक 03.10.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.10.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नहर से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 12 वृक्षों में से काटे जाने वाले 04 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 40 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. Proposal No.: SIA/MP/MIN/520718/2025, Case No. 10917/2023 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry in an area of 2.424 ha. for production capacity 38190 cum per year at Khasra No. 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/2, Village-Biradei, Tehsil-Hanumana, District-Rewa (MP) by M/s Mahamaya Stone, LLP, Partner Shri Alok Singh, R/o Circle PiprahiMauja Nakwar Pancha Hanumana, District-Rewa (MP) – 486335

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 820वी बैठक दिनांक 19.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

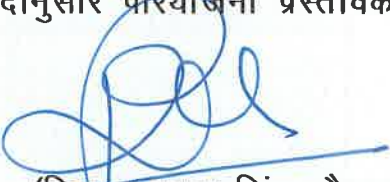
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. प्रकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र में परियोजना प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं है।
2. प्रकरण में जारी ToR की शर्तों का परिपालन नहीं होना प्रतीत होता है।
3. प्रकरण में प्रस्तुत ईआईए रिपोर्ट में Soil Profile एवं Baseline Data Study का उल्लेख नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12. Proposal No.: SIA/MP/MIN/520194/2025, Case No. P2/72/2024 Prior Environmental Clearance for Flagstone Quarry in an area of 1.65 ha. for production capacity 6000 M3/Year at Khasra No. 947/1,948, Vill.- Jakhauda, Teh - Ghatigaon, Distt. Gwalior (M.P.) by Shri Kuldeep Dubey Owner, Near Shubham lodge, Subhash Colony, Guna, Guna, Madhya Pradesh-473001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 820वी बैठक दिनांक 19.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. प्रकरण में जारी ToR की शर्तों का परिपालन नहीं होना प्रतीत होता है।
2. प्रकरण में प्रस्तुत ईआईए रिपोर्ट में Soil Profile एवं Baseline Data Study का उल्लेख नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

13. Proposal No.: SIA/MP/MIN/541094/2025, Case No. P2/1749/2025 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.990 ha. for production capacity Stone (gitti)- 5,000 m³ /year & M-sand: 95,000 m³ /year Khasra No. 687, Village- Thar, Tehsil- Palera, District- Tikamgarh (M.P.) by Shri Manoj Kumar Sharma S/o Shri Ramnath Sharma R/o: ward no. 4, Prakashpura, Tehsil- Jatara, District- Tikamgarh, State -Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 820वी बैठक दिनांक 19.08.2025 एवं 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 820वी बैठक दिनांक 19.08.2025 एवं 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 2111 दिनांक 20.08.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.08.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 10 वृक्षों में से काटे जाने वाले 05 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 50 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

14. Proposal No.: SIA/MP/MIN/543604/2025, Case No. P2/820/2024 Prior Environmental Clearance for limestone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 23.86 ha. for production capacity limestone- 600000 Tons per Annum & OB as mine waste-178864 Tons per Annum at Khasra No. 683, 687/1, 687/2, 710/1/1, 710/1/2, 710/2, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 719, 724/1, 724/2, 725, 726, 727, 728, 729/1, 729/2, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 737/1, 737/2, 738, 740/1/1, 740/1/2, 740/2/2, 740/2/3, 740/2/K, 961/1, 961/2, 962/1, 962/2, 963/1, 963/2, 964/1, 964/2, Village- Bhatia Tehsil - Maihar District - Satna (M.P.) by Ms. Indu Ahluwalia, R/o 267K, Ward No. 9, Sindhi Camp , Bandhavgarh Colony. Raghurajnagar, Satna (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) म.प्र. खनिज साधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 548/1122256/2023/12/1 दिनांक 08.02.2023 के अनुसार 50 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

15. Proposal No.: SIA/MP/MIN/549074/2025, Case No. P2/1034/2025 Prior Environmental Clearance for Iron Ore & Blue Dust Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.59 ha. for production capacity Iron Ore-6385 TPA & mineral reject-6385 TPA at Khasra No. 361P, 362P, 363P, 364P, 365P, 11, 13/1, 14, 16, 17, 18, 33, 34, 35, 36, 45, Village - Siluwa and Jhansi, Tehsil - Sihora, Dist - Jabalpur (M.P.) by Shri Mohammad Farooq, Partner, MS Khatri Minerals And Mining Company, R/O 365, South Motinala, Hanumantal, Jabalpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 839वी बैठक दिनांक 28.10.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 839वी बैठक दिनांक 28.10.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) म.प्र. खनिज साधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 5142/1607986/2023/12/1 दिनांक 04.10.2023 के अनुसार 50 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक अग्र)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

16. Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/527230/2025, Case No. P2/1149/2025 Prior Environment Clearance for Proposed expansion of "Hotel Project" by Amar Krishna Leisure Private Ltd., Khasra no. 192/1, 196/1, 196/3, 211/1/1/1, 211/1/1/2 at village Arandiya Tehsil & District, Indore., Total Project Area-1.851 Ha., Total Built up Area 29,747.19 sq mt. (Existing Area – 19,216.25 sq.mt. Proposed Area - 10,530.94 sq.mt., Total Built-up Area of the Hotel after Expansion will be 29,747.19 sq.mt.) by Amar Krishna Leisure Private Limited, Shri Mohit Arora, Director, Indore (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 810 वी बैठक दिनांक 12.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

SEIAA की 907 वी बैठक दिनांक 30.10.2025 में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया एवं यह निर्णय लिया गया :-

“प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. जल आपूर्ति के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. परियोजना स्थल पर भू-जल पर प्रभाव व भूजल हेतु Central Ground Water Authority से अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
3. परियोजना हेतु अग्निशमन विभाग (Fire Department) से जारी अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC) प्रस्तुत किया जाए।
4. Extra treated waste water हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
5. परियोजना से संबंधित आवश्यक समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करें।
6. **External Sewage Treatment Plant (STP)** का निर्माण किया जाना प्रस्तावित करें तथा इसके संबंध में विस्तृत जानकारी (क्षमता, प्रक्रिया, स्थान, तकनीकी विवरण आदि) प्रस्तुत करें।
7. परियोजना स्थल का संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भवन योजना (**Building Plan**) का प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
8. Town & Country Planning (T&CP) विभाग द्वारा स्वीकृत Layout Plan तथा Permission Letter प्रस्तुत करें।
9. खसरा नक्शा (map)/पंचसाला/भूमि अभिलेख जैसे भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। जिन खसरा नंबरों की कृषि भूमि पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है, उनकी भूमि उपयोग परिवर्तन (Land Use Conversion) अनुमति /Land Diversion Order प्रस्तुत करें।
10. Tree Mapping सहित स्थल योजना (Site Plan) लेआउट योजना तथा भवन योजनाओं के साथ विस्तृत Architectural and Structural Designs तैयार कर प्रस्तुत करें।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 10 तक की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।”

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 13.11.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल भूखंड 1.851 ha है कुलनिर्मित क्षेत्र 29747.19 वर्गमीटर है, जो 1,50,000.00 sq.m. से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 810 वीं बैठक दिनांक 12.07.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से xi विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- i. प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया भूजल दोहन के स्थान पर यथासंभव नगर निगम से जलापूर्ति करावें। अपरिहार्य स्थिति में भूजल का दोहन करें।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल संबंधी अनुमतियों की प्रति पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। यदि उक्त अनुमतियां परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
- iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- iv. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

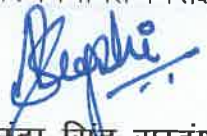
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

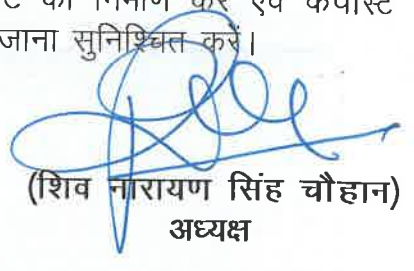
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vii. परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- viii. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो।
- ix. जैविक कचरा प्रबंधन हेतु सुरक्षित स्थान पर वर्मी कंपोस्ट पिट का निर्माण करें एवं कंपोस्ट गुणवत्ता जांच, उत्सर्जन नियंत्रण और नियमित निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

17. Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/518947/2024, Case No P2/1148/24 Prior Environment Clearance for Proposed Construction of "DRK The Crest by Sahil Group" Project at Khasra No. Survey No.41/3/1,41/4/2,42/1/1,42/2/1and 43/1/1 Village Mayakhedi,Tehsil - Kanadiya Bypass Road, Indore (M.P.), Total Project Area – 2.476 ha., Built up Area- 63,613.80 sqmt. By Shri Vipin Narendra Kandhari, Director, DRK The Crest by Sahil Group M/s JK Horizon LLP., 403-404, Block Infinite, Shivneri Sahil Empire, Bicholi Mardana, Indore, (M.P.) -452001 .

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 810 वी बैठक दिनांक 12.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

SEIAA की 907 वी बैठक दिनांक 30.10.2025 में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया एवं यह निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 810 वी बैठक दिनांक 12.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना हेतु अग्निशमन विभाग (Fire Department) से जारी अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC) प्रस्तुत किया जाए।
2. Extra treated waste water हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
3. Solid Waste Disposal हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
4. **External Sewage Treatment Plant (STP)** का निर्माण किया जाना प्रस्तावित करें तथा इसके संबंध में विस्तृत जानकारी (क्षमता, प्रक्रिया, स्थान, तकनीकी विवरण आदि) प्रस्तुत करें।
5. परियोजना स्थल का संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भवन योजना (**Building Plan**) का प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
6. Tree Mapping सहित स्थल योजना (Site Plan) लेआउट योजना तथा भवन योजनाओं के साथ विस्तृत Architectural and Structural Designs तैयार कर प्रस्तुत करें।
7. खसरा नक्शा (map)/पंचसाला/भूमि अभिलेख जैसे भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। जिन खसरा नंबरों की कृषि भूमि पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है, उनकी भूमि उपयोग परिवर्तन (Land Use Conversion) अनुमति/Land Diversion Order प्रस्तुत करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 7 तक की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नाभायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 13.11.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

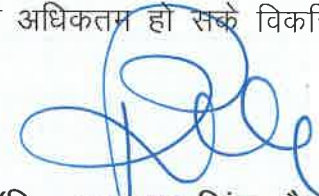
1. प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल भूखंड 2.476 ha है कुलनिर्मित क्षेत्र 63613.80 वर्गमीटर है, जो 1,50,000.00 sq.m. से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 810 वीं बैठक दिनांक 12.07.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से xi विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- i. प्रस्तावित भवन हाई-राइज आवासीय परियोजना है इस हेतु इसके निर्माण के दौरान पूर्ण सावधानी रखी जावे जिससे किसी भी प्रकार जन, धन हानि न हो। साथ ही भूमि विकास नियम 2012 के निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो।
- ii. प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया भूजल दोहन के स्थान पर यथासंभव नगर निगम से जलापूर्ति करावें। अपरिहार्य स्थिति में भूजल का दोहन करें।
- iii. परियोजना के ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
- iv. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- v. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- vi. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vii. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट ग्रीन का एरिया जितना अधिकतम हो सके विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।


(दीपक आर्य)


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)


(शिव नारायण सिंह चौहान)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

सदस्य सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

- viii. परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- ix. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो।
- x. नगर निगम इन्दौर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3798 दिनांक 31.07.2025 में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xi. सीवेज वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट के पानी की गुणवत्ता जॉच (पूर्व/पश्चात्) एवं लैब रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। यदि उक्त अनुमतियां परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

18. Proposal No.- SIA/MP/MIN/544972/2025, Case No. 246/2008, Prior Environmental Clearances for laterite ochre & clay mine in an area of 5 ha., for production capacity of 49,364 T / Y for laterite, 1,953 T/Y for Ochre and 13,517 T / Y for Clay, at Khasra No. 274, Village (Darshi), Teh- Sihora, Distt- Jabalpur M.P. by Shri Ajesh Kumar Jain Jabalpur M.P Regarding transfer of EC in the name of Shri Amar Darshan Enterprises, 103, Bhasin Residency, South Civil Lines Jabalpur (MP)

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 906वी बैठक दिनांक 29.10.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. प्रकरण में पूर्व परियोजना प्रस्तावक की अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. प्रकरण में अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया शुल्क की पॉवती प्रस्तुत नहीं की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 3 तक की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 12.11.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों व ADS reply के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Ajesh Kumar Jain Jabalpur M.P के नाम laterite ochre & clay mine in an area of 5 ha., for production capacity of 49,364 T / Y for laterite, 1,953 T/Y for Ochre and 13,517 T / Y for Clay, at Khasra No. 274, Village (Darshi), Teh- Sihora, Distt- Jabalpur (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Amar Darshan Enterprises, 103, Bhasin Residency, South Civil Lines Jabalpur (MP) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 893 / EPCOSEIAA /12 दिनांक 03.01.2012 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता यथावत रहेगी।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य)

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)

(शिव नारायण सिंह चौहान)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

सदस्य सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

19. Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/469871/2024 Case No. P2/875/24 Prior Environment Clearance for Proposed Project is STARLIGHT "TITANIA" BY BHOPAL REDEVELOPMENT REALTY PVT. LTD., at Khasra No. - 88, 89 (Part), 90 (Part) and 92 (Part), Tehsil- Huzur, District - Bhopal (M.P.). Builtup Area- 30,634.02 Square meter, by Shri Amit Goswami, Director, STARLIGHT "TITANIA" BY BHOPAL REDEVELOPMENT REALTY PVT. LTD., Plot No. 5, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal, Distt. - Bhopal (M. P.), Pin462016.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 758 वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

SEIAA की 863-B वी बैठक दिनांक 10.06.2024 में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया एवं यह निर्णय लिया गया :-

1. यह भोपाल रिडेवलपमेंट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खसरा नंबर - 88, 89 (भाग), 90 (भाग) और 92 (भाग), तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) में प्रस्तावित प्रोजेक्ट स्टारलाइट "टाइटानिया" के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल क्षेत्र 15548.50 sq.m. है एवं कुल निर्मित क्षेत्र 30634.02 वर्ग मीटर है, जिसमें मौजूदा निर्मित क्षेत्र 32421.93 sq.m. है।
3. प्रस्तावित परियोजना हेतु SEAC की 758 वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई, जिसका कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 121 से 136 तक अंकित है।

उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पर अपलोड लैंड सम्बंधित दस्तावेजों के अनुसार उक्त लैंड भोपाल रिडेवलपमेंट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। जबकि वृक्षों की कटाई का परमिशन दिलीप बिल्डकॉन द्वारा ली गई है। पर्यावरण स्वीकृति का आवेदन भोपाल रिडेवलपमेंट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है तो दिलीप बिल्डकॉन द्वारा किस आधार पर वृक्षों की कटाई का परमिशन प्राप्त की गई है। उपरोक्त वृक्षों के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में क्या कार्यवाही की गई है इसकी जानकारी के साथ और दिलीप बिल्डकॉन एवं भोपाल रिडेवलपमेंट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य क्या अनुबंध है के स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष परियोजना प्रस्तावक उपस्थित होकर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधित को सूचनाार्थ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 04.11.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल भूखंड 9600 वर्गमीटर है कुलनिर्मित क्षेत्र 30634.02 वर्गमीटर है, जो 1,50,000.00 sq.m. से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 758 वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से ix विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- i. प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया भूजल दोहन के स्थान पर यथासंभव नगर निगम से जलापूर्ति करावें। अपरिहार्य स्थिति में भूजल का दोहन करें।
- ii. परियोजना के ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
- iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- iv. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट ग्रीन का एरिया जितना अधिकतम हो सके विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।
- vii. परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की मांग पूर्ति हेतु प्रस्तावित भूजल दोहन के पूर्व सेन्टल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 03 माह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। यदि उक्त अनुमतियां परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
- ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावित परियोजना स्थल की नवीनतम फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के साथ प्राधिकरण में प्रस्तुत करें।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुगंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

20. Proposal No.: SIA/MP/MIN/540773/2025, Case No 8210/2021 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) in an area of 2.0 ha. for production capacity of 15000 cum per annum at Khasra No. 16/1 at Village - Leelakhadi, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) by Smt. Manjeet Kaur W/o Shri Laal Singh, Junior IG, E-3/19, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP - 452001 Regarding transfer of EC in the name of M/s Modi Enterprises Prop. Smt. Kalpna Jain R/o B-57, B-Sector, Kamla Nagar, District Bhopal (MP)

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 900वी बैठक दिनांक 27.09.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. पूर्व परियोजना प्रस्तावक प्रकरण में प्रक्रिया शुल्क की पॉवती प्रस्तुत नहीं की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 04.11.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी एवं ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत की गई पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन के साथ पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों अनुसार गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टेक, लीज एरिया में की गई फेसिंग, बैरियर जोन में किये गये वृक्षारोपण एवं CER के तहत किये गये कार्यों के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त जानकारी के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के साथ 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

मानक शर्तें (भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु) :-

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :-
 - a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 - b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदनुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
 - c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
13. **For firefighting:-**
 - a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required fire fighting arrangement should be made available on the project site as per NBC 2016.
 - b. The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
 - c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping
17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.
18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.
19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.
20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.
21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.
23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - <http://www.environmentclearance.nic.in/> or <http://www.efclearance.nic.in/> and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also
25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report, Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.
26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.
28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.
29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.
30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.
31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 913वी बैठक दिनांक
20.11.2025 का कार्यवाही विवरण

addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.
33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.